उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 46वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 11.04.2019

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2019 को सम्पन्न हुई 46वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।	–अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)	–सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार, उप सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	–सदस्य
4.	श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)	–सदस्य
5.	श्री विजय कान्त दुबे, निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)	–सदस्य
6.	श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)	–सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री राकेश त्रिवेदी, मुख्य तकनीकी सलाहकार, यूपीडा।
4. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री रवीन्द्र गोडबोले, वरिष्ठ सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), यूपीडा।
6. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
7. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, वन, यूपीडा।
8. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
12. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
13. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री मनोज कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
15. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
16. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
17. श्री संजय चावला, डिप्टी कलेक्टर (प्रभारी प्रशासन), यूपीडा।
18. श्री अनन्त कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
19. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
20. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 46वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.02.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं एवं दिनांक 13.03.2019 को सम्पन्न हुई 45वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:–**

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा 44वीं एवं 45वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.02.2019 को सम्पन्न 44वीं बैठक एवं दिनांक 13.03. 2019 को सम्पन्न 45वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–**

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.02.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 13.03.2019 को सम्पन्न हुई 45वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे भूमि क्रय हेतु हडको से ऋण व्यवस्था :–**

कार्यवाही/निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार यूपीडा द्वारा "बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना" हेतु भूमि क्रय एवं तत्सम्बन्धित खर्च के लिए हडको से रू0 1775. 00 करोड़ राशि का ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से अनुमोदिन एजेण्डा नोट तथा बोर्ड बैठक के अभिलेख से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा इसकी संपुष्टि की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प को शासन एवं हडको को उपलब्ध करा दिया गया था, किन्तु शासन में इस विषय पर पुनर्विचार के उपरान्त हडको से ऋण अनुमत न करके शासन ने रू0 900.00 करोड़ की धनराशि शासन की आरे से स्वीकृत कर दी है।

एजेण्डा बिन्दु–04:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2019–20 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल, यूपीडा को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या– 2747/77–3–2017–37एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर दिनांक 19/20.01.2018 की मध्यरात्रि से टोल फीस की वसूली की जा रही है। औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 02/2018/235/77–3–2018–37एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–4 द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा प्रत्येक वर्ष टोल दरों में वार्षिक वृद्धि 2017–18 हेतु निर्धारित आधार दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) के आधार पर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल, यूपीडा को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1596/77–3–18–37एम–12टीसी दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये टोल फीस दर नियत की गई है तथा उक्त शासनादेश द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये आंगणित टोल दरों में 25% छूट भी प्रदान की गई थी।

निदेशक मण्डल को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों तथा अधिसूचना दिनांक 15.01.2018 के क्रम में वर्ष 2019–20 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' हेतु आंगणित संशोधित टोल की आधार दरों से अवगत कराया गया।

उक्त आंगणित संशोधित आधार दरों के अनुसार वर्ष 2019–20 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर आगरा से लखनऊ तक विभिन्न वाहनों के लिये आंगणित की गई निम्नवत् संशोधित टोल दरों से भी अवगत कराया गया:–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2018–19 के लिये दिसम्बर 2017 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 355.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)		वर्ष 2019–20 के लिये दिसम्बर 2018 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 369.19) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	
		बिना छूट के	**25% छूट के साथ**	**बिना छूट के**	**25% के छूट साथ**
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	780	585	780	585
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1220	915	1240	930
3	बस या ट्रक	2455	1840	2490	1870
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	3765	2815	3835	2875
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	4835	3630	4905	3680

निदेशक मण्डल को उपरोक्तानुसार वर्ष 2019–20 हेतु पुर्नरिक्षित आधार टोल दरों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच आंगणित संशोधित दरों का विवरण (पूर्व वर्ष की भाँति 25% छूट सहित) भी अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया गया। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2019–20 हेतु संशोधित टोल दरों को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच लागू करने के लिए यूपीडा के पत्र संख्या 32/यूपीडा/2019/1224 दिनांक 02.04.2019 द्वारा टोल कान्ट्रेक्टर मे0 ईगल इन्फ्रा इडिया लिमिटेड तथा साफ्टवेयर कम्पनी मे0 वान इन्फा को उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्त प्रकरण पर निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त वर्ष 2019–20 हेतु पुर्नरिक्षित आधार टोल दरों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच आंगणित संशोधित टोल दरों (25% छूट सहित) पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त दरों को वर्ष 2019–20 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु लागू किये जाने पर भी कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' के निर्माण हेतु परियोजना मैनेजमेन्ट कन्सल्टेंट सह एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर' के चयन हेतु ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय

यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना' एक बृहद एक्सप्रेसवे परियोजना है जिसका निर्माण आठ पैकेजों में विभाजित कर विभिन्न निर्माणकर्ताओं से कराया जा रहा है। इस परियोजना हेतु दो अथारिटी इंजीनियर्स भी नियुक्त किये गये हैं, जो परियोजना के निर्माणकर्ताओं के कार्यों का अनुश्रवण कर रहे हैं। परियोजना के निर्माणकर्ताओं के द्वारा किये गये निर्माणकार्यों का पर्यवेक्षण, जांच, आडिट, प्रगति, गुणवत्ता, निर्माणकर्ताओं तथा अथारिटी इंजीनियर्स के बीच समन्वय स्थापित करने, रोड सेफ्टी तथा एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट आदि कार्यों हेतु एक 'प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट एवं एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर' का चयन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

उपरोक्तानुसार 'प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट एवं एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिटर' के चयन हेतु परियोजना विकास परामर्शी द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' को यूपीडा के निदेशक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा उक्त ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' पर विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि अनुमोदित 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के आधार पर निविदा अभिलेख तैयार कर केवल सरकारी अथवा सरकारी उपक्रमों जिन्हें सड़क परियोजनाओं की प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी एवं एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट का अनुभव हो, से प्रस्ताव आंमत्रित कर चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जाए। निदेशक मण्डल द्वारा तदानुसार प्राधिकरण को शासन स्तर पर गठित परामर्शी मूल्यांकन समिति से निविदा अभिलेख पर अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के सेफ्टी ऑडिट हेतु कन्सलटेन्र्स फर्म के चयन हेतु ड्राफ्ट टर्म्स आफ रेफरेन्स के अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय

यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.02.2019 में निर्णय लिया गया था कि मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार डी०पी०आर० स्टेज पर ही परियोजनाओं का सेफ्टी आडिट कराया जाये। तदानुसार दोनों परियोजनाओं का डी०पी०आर० स्टेज पर सेफ्टी आडिट कराने हेतु आडिटर्स के चयन के लिये ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से टेण्डर की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है। तदक्रम में दोनों परियोजनाओं के सेफ्टी आडिट हेतु कन्सलटेन्सी फर्म के चयन के लिये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' (टी०ओ०आर०) तैयार कर यूपीडा निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' (टी०ओ०आर०) पर निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि इच्छुक आवेदनकर्ताओं से उनकी अर्हता हेतु निर्धारित कम से कम दो सड़क परियोजनाओं (प्रत्येक न्यूनतम 50 कि०मी० लम्बी) के सेफ्टी आडिट के पूर्ण किये जाने के साक्ष्य के साथ उन सेफ्टी आडिट की प्रतियॉ भी प्राप्त की जायें।

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' की डी0पी0आर0 स्टेज पर सेफ्टी आडिट कराने हेतु आडिटर्स के चयन के लिये तैयार किये गये ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' (टी0ओ0आर0) पर यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदन प्रदान करते हुए यूपीडा को आडिटर्स के चयन के लिये सिंगल स्टेज–टू ऐनवेलप के आधार पर ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से शार्ट टर्म निविदायें आंमत्रित कर चयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

एजेण्डा बिन्दु–07:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन :–

1. संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर की गई निम्नवत् नियुक्तियों का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री जितेन्द्र नाथ तिवारी	राजस्व सहायक	03 माह	20.02.2019	6122 / यूपीडा / 1223 / 19 / अधि0 दि0 18.02.2019
2	श्री सीताराम यादव	राजस्व सहायक	03 माह	18.02.2019	6121 / यूपीडा / 1212 / 19 / अधि0 दि0 18.02.2019
3	श्री नामवर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	25.02.2019	6245 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 25.02.2019
4	श्री कृपाल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	13.02.2019	6009 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 12.02.2019
5	श्री बजरंग बहादुर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	13.02.2019	6009 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 12.02.2019
6	श्री फूल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	13.02.2019	6009 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 12.02.2019
7	श्री सत्य प्रकाश	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	08.03.2019	6519 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 07.03.2019
8	श्री एन0एन0 श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक (सिविल)	एक वर्ष	07.03.2019	6515 / यूपीडा / 1199 / 19 / अधि0 दि0 06.03.2019
9	श्री जय कुमार	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	06 माह	05.03.2019	6479 / यूपीडा / 827 / 17 / अधि0 दि0 05.03.2019
10	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	04.03.2019	6343 / यूपीडा / 840 / 18 / अधि0 दि0 01.03.2019

2. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति अवधि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार के पश्चात् नियुक्ति अवधि	यूपीडा आदेश संख्या / तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री के0के0 सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी	02.04.2019 तक	06 माह	02.10.2019 तक	122 / यूपीडा / 405 / 15 / अधि0 दि0 05.04.2019	
2	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	31.03.2019 तक	03 माह	30.06.2019 तक	26 / यूपीडा / 247 / 14 / अधि0 दि0 02.04.2019	

3	श्री अकमल हुसैन	लेखाकार कम कैशियर	31.01.2019 तक	06 माह	31.07.2019 तक	6004 / यूपीडा / 391 / 15 / अधि0 दि0 12.02.2019	
4	श्री विजय सिंह	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2019 तक	06 माह	18.09.2019 तक	6904 / यूपीडा / 1089 / 18 / अधि0 दि0 25.03.2019	
5	श्री वीरेन्द्र कुमार बैजल	लेखाकार कम कैशियर	31.03.2019 तक	06 माह	30.09.2019 तक	6909 / यूपीडा / 400 / 15 / अधि0 दि0 25.03.2019	
6	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2019 तक	06 माह	18.09.2019 तक	6616 / यूपीडा / 1087 / 18 / अधि0 दि0 08.03.2019	
7	श्री कालीचरन	डाकरनर	31.03..2019 तक	03 माह	30.06.2019 तक	7040 / यूपीडा / 406 / 15 / अधि0 दि0 27.03..2019	
8	श्री पी0पी0 सिंह	लेखाकार	27.02.2019 तक	02 माह	27.04.2019 तक	6311 / यूपीडा / 519 / 15 / अधि0 दि0 27.02..2019	
9	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी	13.03.2019 तक	एक वर्ष	13.03.2020 तक	6614 / यूपीडा / 795 / 17 / अधि0 दि0 08.03.2019	
10	श्री अलख नारायण द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	27.03.2019 तक	06 माह	27.09.2019 तक	7135 / यूपीडा / 887 / 18 / अधि0 दि0 29.03.2019	
11	श्री राजेश कुमार सिंह चन्देल	सुरक्षा अधिकारी	27.03.2019 तक	06 माह	27.09.2019 तक	7136 / यूपीडा / 888 / 18 / अधि0 दि0 29.03.2019	
12	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2019 तक	06 माह	18.09.2019 तक	6615 / यूपीडा / 1081 / 18 / अधि0 दि0 08.03.2019	
13	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2019 तक	06 माह	18.09.2019 तक	6772 / यूपीडा / 1088 / 18 / अधि0 दि0 15.03.2019	
14	श्री रमाकान्त अग्निहोत्री	सुरक्षा अधिकारी	28.03.2019 तक	06 माह	27.09.2019 तक	7134 / यूपीडा / 1067 / 18 / अधि0 दि0 29.03.2019	
15	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2019 तक	06 माह	18.09.2019 तक	6903 / यूपीडा / 1082 / 18 / अधि0 दि0 25.03.2019	
16	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)	13.04.2019	06 माह	13.10.2019	170 / यूपीडा / 334 / 14 / अधि0 दि0 08.04.2019	

कार्यवाही / निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा यह भी व्यवस्था दी गई कि भविष्य में संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार प्रस्ताव के साथ उनके कार्य की आवश्यकता से भी निदेशक मण्डल को अवगत कराया जायें।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 08.04.219 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित एवं यूपीडामें मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण :–**

कार्यवाही / निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा यह भी व्यवस्था दी गई कि दो वरिष्ठ अधिकारी श्री जे0पी0 सिंह एवं श्री रवीन्द्र गोडबोले, प्रबन्धक विधि के साथ बैठकर यह समीक्षा कर लें, कि तीन माह से कोई वाद पुराना तो नहीं है, जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है, अथवा ऐसा कोई वाद तो नहीं है, जिसमे यूपीडा के हितों के प्रतिकूल कोई आदेश जारी हुये हो। ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संज्ञान में लाया जाये।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु क्रय की जो वाली भूमि के लिए, जनपद स्तरीय भूमि कय की दर एवं मूल्य निर्धारण समितियों द्वारा पारित एवं मण्डलायुक्तों के अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।**

कार्यवाही/निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा सर्किल रेट न बढ़ाये जाये इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास किया गया है, जिससे रजिस्ट्री के रेट नहीं बढ़े है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे मे दरों की वृद्वि एवं भू–अर्जन में जो कतिपय कमियां पायी गई है, उन्हें शासन के संज्ञान में लाया जा चुका है।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं सम्बन्धित मदों में Extension of Time पर विचार/अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–05:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज आफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

गुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पैकेज–05 का कार्य एल0एन0टी0 द्वारा समय पर पूरा न किये जाने पर अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.02.2019 में अवगत कराया कि एक्सप्रेसवे पर एल0एन0टी0 द्वारा अपने अनुबंध के आधार पर कार्य पूरे नहीं किये गये है, अतः यह निर्णय लिया गया कि अनुबंध के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य विलम्ब से पूरा करने के कारण इन्हें दण्ड स्वरूप 0.05 प्रतिशत अनुबंध मूल्य पर कटौती जो अधिक्तम 10 प्रतिशत हो सकती है, कि जायेगी। इस सम्बन्ध में अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर से अनुरोध किया गया है, कि वे विलम्ब क्षति सम्मिलित करते हुये पैकेज–05 का पुनरीक्षित SPS प्रस्तुत करें।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.04.2019 को सम्पन्न हुई 46वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 11 अप्रैल, 2019 को अनुमोदित किये गये है।

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी